आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	सारण समाहरणालय, छपरा। **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील सं0 54/2012** **सुरेन्द्र सिंह बनाम सरकार एवं अन्य** **आदेश**	
27/1/2013	यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापि पदाधिकारी, मढ़ौरा, के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण आदेश ज्ञापांक 1916 दिनांक 14/6/2012 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 2/6/2012 को अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान की जाँच अनुमंडल स्तरीय जाँच दल द्वारा की गयी। जाँच में दुकान खुली पाई गई, किन्तु कथित रूप से कई अनियमितताएँ पायी गयी। तदोपरान्त अपीलकर्त्ता से कारणपृच्छा की गयी और प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अपना पक्ष रखते हुए अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट किया कि जाँच दल के द्वारा भी उनकी दुकान के बंद रहने के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गयी है। उनके विरूद्ध कुछ ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जो मात्र तकनीकी प्रकृति के हैं और उनके द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है। अपीलकर्त्ता ने कहा कि उनके विरूद्ध पहला आरोप यह है कि दिनांक 4/3/2012 से 27/3/2012 तक उसकी भंडार पंजी में अन्त्योदय और बी0पी0एल0 योजना से संबंधित प्रविष्टियाँ नहीं है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि उक्त अवधि में भंडार में खाद्यान्न शेष नहीं था और खाद्यान्न का उठाव 29/3/2012 को हुआ। उसके द्वारा भंडार पंजी में उक्त प्रश्नगत अवधि में शून्य अंकित किया जाना चाहिए था, जो भूलवश नहीं किया गया। उसी तरह अपीलकर्ता ने उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर और निशान प्राप्त नहीं करने के आरोप को भी गलत बताया और कहा कि एक-दो उपभोक्ताओं ने अज्ञानता से या भीड़वश वितरण पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, किन्तु वैसे मेमो अनिवार्यतः निर्गत किया जाता है। उचित मूल्य से अधिक मूल्य लेने या निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में आपूर्त्ति देने के आरोपों का भी उन्होंने खंडन करते	

27/1/13

हुए अपीलकर्त्ता ने उपभोक्ताओं को निर्गत कैश मेमो की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए कहा कि उपभोक्ताओं से नियत मूल्य ही लिया जाता है और निर्धारित मात्रा में ही उन्हें खाद्यान्न वितरण किया जाता है

प्रश्नगत आदेश का समर्थन करते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है।

दोनों पक्षों को सुना और मूल अभिलेख का अवलोकन किया। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि निरीक्षण तिथि को दुकान खुली पायी गयी थी और यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा सभी प्रकार के अभिलेख निरीक्षण दल को और स्पष्टीकरण के साथ भी समर्पित किए गए। प्रश्नगत अवधि में भंडार पंजी में बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय योजना से संबंधित परमिट दर्ज नहीं होने की वजह मात्र तकनीकी है। निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में वितरण करने या निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य की वसूली करने और कैश मेमो नहीं देने के आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों से नहीं होती है। अपीलकर्त्ता ने न केवल भंडार पंजी और वितरण पंजी की छायाप्रति उपलब्ध करायी है, बल्कि निर्गत कैश मेमो की कार्यालय प्रति भी उपलब्ध करायी है।

प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन साक्ष्यों का परीक्षण अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। हालाँकि कुछ तकनीकी भूलों को अपीलकर्त्ता ने स्वयं स्वीकार किया है, प्रश्नगत आदेश का वैधानिक आधार साक्ष्यों के दृष्टिकोण से मान्य नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ______ /विधि, दिनांक ______

प्रतिलिपि- अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा को अपने पत्रांक 3477 दिनांक 18-10-2012 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्र० सिंह से संबंधित मूल अभिलेख प्राप्त की आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- मूल अभिलेख

5/2/2013

ज्ञापांक ______ /विधि, दिनांक

प्रतिलिपि ... पदाधिकारी, ... विधि शाखा, छपरा ... सूचनार्थ एवं उक्त आदेश की प्रति ... करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, छपरा